

## सपडि ववाह पर रोक

### प्रलमिस के लयि:

[हदु ववाह अधनयलम, 1955 \(HMA\)](#), सपडि ववाह पर प्रतबलध, अनाचार का अपराध, घनषलठ रकत संबध

### मेन्स के लयि:

सपडि ववाह पर प्रतबलध, वभलनन कषेत्तरोँ में वकलस के लयल सरकारी नीतयलँ और हसुतकषेप तथा उनकी रूपरेखा एवं कारयानवयन से उतुपनन होने वाले मुदुदे

[सुरोत: इंडयलन एकसपरेस](#)

## चरुचा में कयुँ?

हलल ही में दललली उचुच नुयायालय ने नीतु गुरोवर बनाम भारत संघ और अनुय, 2024 के मामले में [हदु ववाह अधनयलम, 1955 \(Hindu Marriage Act- HMA\)](#) की धारा 5 (v) की संबधानकलता की चुनौती खारजल कर दी है, जो दो हदु लुगुँ के एक दूसरे के "सपडल" होने की सुथतलल में उनके ववाह पर रोक लगाती है ।

- सपडल ववाह वशलषलठ पारवलारकल नकलटता साडुला करने वाले वुयकुतुल के बीच होता है ।

## कानून को चुनौती कयुँ दी गई तथा इससे संबधतल नुयायालय का नरुणय कयुल था?

- याचकलकरुतुता के तरुक:**
  - वरुष 2007 में एक याचकलकरुतुता की शादी को शूनुय घोषतल कर दयलल गयल कयुँकल उसके पतलने सफलतापूरुवक सदलध कयल कल उनका ववाह सपडल ववाह था तथा महलला उस समुदाय से नहीं थी जहाँ ऐसे ववाह को एक प्रुथा मानल जलतल था ।
  - याचकलकरुतुता ने सपडल ववाह पर प्रतबलध की संबधानकल वैधता को चुनौती देते हुए तरुक दयल कपलरुथा का कुई साकषुय न होने पर भी सपडल ववाह प्रुचलतल है ।
  - अत: धारा 5(v) जो सपडल ववाह पर रोक लगाती है जब तक कल उनमें से प्रुतुयेक को शासतल करने वाली प्रुथा या प्रुथा दुनुँ के बीच ववाह की अनुमतल नहीं देती, संबधलन के अनुचुछेद 14 के तहत समानता के अधकलर का उलुलंघन करती है ।
    - याचकलकरुतुता ने यह भी तरुक दयल कल ववाह दुनुँ परवलारुँ की सहमतल से हुआ था जो ववाह की वैधता को साबतल करती है ।
- दललली नुयायालय का आदेश:**
  - दललली उचुच नुयायालय ने उनकी दलीलुँ को अयुलगुय ठहरायल तथा कहा कल याचकलकरुतुता ने एकसुथापतल प्रुथा (सपडल ववाह) का "उचतल सबूत" प्रुदान नहीं कयल जो सपडल ववाह को उचतल ठहराने के लयल आवश्यक है ।
  - नुयायालय ने कहा कल ववाह में साथी का चुनाव वनलयलमन के अधीन हो सकतल है । इसे धुयान में रखते हुए नुयायालय ने मानल कल याचकलकरुतुता ने सपडल ववाह पर लगाए गए रोक को समानता के अधकलर का उलुलंघन सदलध करने के लयल कुई "तरुकपूरुण कानूनी आधार" प्रुसुतुत नहीं कयल ।


## सपडल ववाह कयुल है?

- परचुय:**
  - सपडल ववाह उन वुयकुतुयलुँ के बीच होता है जो एक नशलचतल सीमा के भीतर एक-दूसरे के नकलट संबधुी होते हैं ।
  - सपडल ववाह को HMA की धारा 3 के तहत परभलषतल कयल गयल है, कयुँकल दुनुँ वुयकुतुल एक-दूसरे का "सपडल" कहे जलते हैं यदल एक वुयकुतुल सपडल रशलते की सीमा में दूसरे का वंशज है या यदल उनमें से प्रुतुयेक के संदरुभ में सपडल संबध की सीमा के भीतर एक सामानुय वंशानुगत लगन हो ।
- रैखकल लगन:**
  - HMA के प्रुावधानुँ के तहत, मतु पकुष की ओर से एक हदु वुयकुतुल कलसी ऐसे वुयकुतुल से शादी नहीं कर सकतल जो "उरुधुवाधर रेखा" में

उनकी तीन पीढ़ियों के भीतर हो। पति पक्ष की ओर से, यह नषिध व्यक्तिकी पाँच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।

- व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि अपनी मातृ पक्ष की ओर से कोई व्यक्ति अपनेभाई-बहन (पहली पीढ़ी), अपने माता-पिता (दूसरी पीढ़ी), अपने दादा-दादी (तीसरी पीढ़ी) या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है जो तीन पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करता हो।
- उनके पति पक्ष की ओर से यह नषिध उनके दादा-दादी और पाँच पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा।

## Sapinda Relationship



### ■ HMA 1955 की धारा 5(v):

- यदि कोई विवाह सपडि विवाह होने की धारा 5(v) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापति प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था और ऐसा माना जाएगा जैसे कयिह कभी हुआ ही नहीं।

## विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी शामिल है।
- वैशेष विवाह अधिनियम, 1954 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने तथा विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह से संबंधित कई मामलों का नपिटान किया है। जैसे-
  - लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और माता-पिता अथवा समुदाय सहित कोई भी इसमें हस्तक्षेप अथवा इसे लेकर आपत्त नहीं व्यक्त कर सकता है।
  - हालाँकि शक्ति वाहनी बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक जीवन साथी का त्रय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा प्रदत्त स्वातंत्र्य-अधिकार का वस्तुतः रूप है।

## सपडि विवाह के वरिद्ध नषिध के अपवाद क्या हैं?

- अपवाद का उल्लेख हद्दि विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) में किया गया है और इसमें कहा गया है **कथिदि इसमें सम्मलिति व्यक्तियों के रीति-रिवाज सपडि विवाह की अनुमति देते हैं, तो ऐसे विवाह को शून्य घोषति नहीं किया जाएगा।**
- दूसरे शब्दों में, यदि समुदाय, जनजाति, समूह या परिवार के भीतर कोई स्थापति प्रथा है जो सपडि विवाह की अनुमति देती है और यदि यह प्रथा लंबे समय तक लगातार तथा समान रूप से नभिई जाती है, तो **इसे नषिध का एक वैध अपवाद माना जा सकता है।**
  - “कस्टम” शब्द की परिभाषा HMA की धारा 3(a) में प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को **लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिये** तथा इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समूह या परिवार में हद्दियों के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिये, जैसे कि इसे “कानून की शक्ति” प्राप्त हो।
- हालाँकि **किसी प्रथा को वैध माने जाने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना** होगा। इन शर्तों के पूरा होने के बाद भी किसी प्रथा की रक्षा नहीं की जा सकती। विचाराधीन नियम “निश्चिती होना चाहिये और अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिये” तथा “किसी नियम के मामले में केवल एक परिवार पर लागू होता है”, इसे “परिवार द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिये”।
  - यदि ये शर्तें पूरी होती हैं और सपडि विवाह की अनुमति देने वाला एक वैध रिवाज है, तो HMA की धारा 5 (v) के तहत **विवाह को शून्य घोषति नहीं किया जाएगा।**

## क्या अन्य देशों में सपडि विवाह के समान विवाह की अनुमति है?

- **फ्रांस और बेलजियम:**
  - फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान **अधिनियम 1810 की दंड संहिता** ने अनाचार के अपराध को समाप्त कर दिया, जब तक कि इसमें सहमति से वयस्क विवाह शामिल थे।
    - अनाचार एक पुरुष और महिला के बीच होने वाले यौन संबंधों या विवाह का अपराध है **जिनका आपस में नज़दीकी खून का रिश्ता** होता है।
  - बेलजियम ने शुरू में वर्ष 1810 के फ्रांसीसी दंड संहिता को अपनाया और बाद में वर्ष 1867 में अपनी स्वयं की दंड संहिता पेश की, फरि भी दोनों के अधिकार क्षेत्र में अनाचार कानूनी बना हुआ है।
- **पुरतगाल:**
  - पुरतगाली कानून अनाचार को अपराध नहीं मानता है, जिसका अर्थ है कि **करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह नषिदि नहीं हो सकता है।**
- **आयरलैंड गणराज्य:**
  - वर्ष 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बावजूद, **आयरलैंड गणराज्य में अनाचार पर कानून समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।**
- **इटली:**
  - इटली में, अनाचार को केवल तभी अपराध माना जाता है यदि इसका परिणाम **“सार्वजनिक घोटाला”** हो।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्य अगम्यागमनात्मक विवाहों पर रोक लगाते हैं। हालाँकि सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अनाचारपूर्ण संबंधों से संबंधित कानूनों में भिन्नताएँ हैं।
    - हालाँकि **न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्क अगम्यागमनात्मक संबंधों की अनुमति है।**

## नषिकर्ष

- HMA द्वारा वनियमिति सपडि विवाह की अवधारणा, कुछ वंशानुगत लगनों के अंतर्गत मलिन पर रोक लगाकर पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के प्रयास को दर्शाती है। कानून में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो इन प्रतर्बंधों का उल्लंघन करने पर विवाह को शून्य घोषति करते हैं, जब तक कि ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाला कोई सुस्थापति रिवाज न हो।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न देशों में अनाचार संबंधों और विवाहों पर अलग-अलग कानूनी रुख हैं, जो व्यक्तित्व पसंद तथा पारिवारिक संबंधों के मुद्दों पर कानूनी दृष्टिकोण की विविधता को प्रदर्शित करते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**?????????:**

प्रश्न. भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था?

1. महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार
2. सहमति की आयु
3. दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर : (b)

व्याख्या

- रखमाबाई (1864-1955) ने इतिहास में अपनी पहचान उस मुकदमे के कारण बनाई, जिसके कारण सहमति की आयु अधिनियम, 1891 को प्राख्यापति किया गया।
- वर्ष 1885 में विवाह के 12 वर्ष के उपरांत, इनके पति ने "वैवाहिक अधिकारों की बहाली" की मांग की, इस मुकदमे के नरिणय में रखमाबाई को अपने पति के साथ रहने या छह महीने जेल में बताने का आदेश दिया गया। **अतः कथन 3 सही है।**
- रखमाबाई ने उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर दिया जिससे उनकी बचपन में शादी हुई थी, क्योंकि शादी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस संबंध में रखमाबाई ने महारानी वकिटोरिया को पत्र लिखा। रानी ने न्यायालय के फैसले को खारज़ कर दिया और विवाह को भंग कर दिया।
- इस मुकदमे ने जो लहर चलाई, उसी के परिणामस्वरूप सहमति की आयु अधिनियम, 1891 को पारित किया गया, जिसने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में बाल विवाह को अवैध बना दिया। **अतः कथन 2 सही है।**
- हालाँकि रखमाबाई ब्रिटिश भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर बनीं, कति यह मुकदमा महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित नहीं था। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

और पढ़ें:

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/current-affairs/Prohibition-on-Marriage-within-Sapinda-Relationships>

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prohibition-on-sapinda-marriage>

